

अनुभव प्रमाण पत्र, सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/सचिव के लिये हेतु जारी किया जाता है।

अनुभव प्रमाण पत्र

मैं, (ग्राम प्रधान/सचिव का नाम),
ग्राम प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत विकास
खण्ड जिला
प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्री/श्रीमती
..... (श्री/श्रीमती का नाम), पुरानी श्री/श्रीमती
..... (पिता/माता का नाम), निवासी
..... (ग्राम पंचायत का नाम), जिसका
आधार संख्या (आधार संख्या) है, ने हमारे
ग्राम पंचायत में पेयजल वितरण प्रणाली के संचालन/संबंध
और रखरखाव में न्यूनतम 2 वर्षों तक कार्य किया है।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी प्रविष्टियों में मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।
यदि मेरे द्वारा उपलब्ध कराये गये उपरोक्त तथ्य किसी भी समय एवं स्तर पर असत्य/गलत पाये
जाते हैं तो इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए
मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक: 28-11-2023

मि. वि. ल. शर्मा
ग्राम पंचायत अध्यक्ष
हरियाणा और मुहूर
ग्राम प्रधान/सचिव का नाम
(ग्राम पंचायत)